राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प.5(1)मं.मं./2019 जयपुर दिनांक 12.12.2020

आदेश

राज्य में ग्राम से जिला स्तर तक जन सुनवाई को सुदृढ एवं प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.12.2020 द्वारा गठित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

1. डा. बी. डी. कल्ला, मंत्री, उर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
2. श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. श्री हरीश चौधरी, मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग ।
4. श्री शाले मोहम्मद, मंत्री, अल्प संख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव निराकरण विभाग।
5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग(प्राथमिक एवं माध्यमिक)(स्वतन्त्र प्रभार)।
6. श्रीमती ममता भूपेश, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (स्वतन्त्र प्रभार)।
7. डा. सुभाष गर्ग, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतन्त्र प्रभार)।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग जन अभियोग निराकरण विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

12/12/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 10.12.2020

–::आदेश::–

राज्य में ग्राम से जिला स्तर तक जन सुनवाई को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता हैः–

1. श्री बुलाकी दास कल्ला,
   मंत्री, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू–जल विभाग।
2. श्री हरीश चौधरी
   मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।
3. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा
   राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक) (स्वतंत्र प्रभार)।
4. डॉ0 सुभाष गर्ग
   राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

10/12/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव